2026:AHC:36319

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. - 39937 of 2025

Mani Miraj Alias Ramdi Miraj Alam

.....Applicant(s)

Versus

State of U.P.

.....Opposite Party(s)

Counsel for Applicant(s)	:	Rajnish Dubey, Vineet Vikram
Counsel for Opposite Party(s)	:	G.A., Vipin Chandra Pal

Court No. - 65

HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

1. वर्तमान दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से मु०अ०सं० 411/2025, अन्तर्गत धारा 328, 376, 377, 313, 323, 506 भारतीय दण्ड संहिता, थाना खोडा, जिला गाजियाबाद में जमानत पर मुक्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विपिन चन्द्र पाल एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

3. इस मामलें की सूचनाकर्ता/पीड़िता आज अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है, इसकी पुष्टि उनके विद्वान अधिवक्ता श्री विपिन चन्द्र पाल द्वारा किया गया। सूचनाकर्ता/पीड़िता द्वारा सादे पृष्ठ पर हस्तलिखित बयान किया गया, जिसका संक्षिप्त अंश यह है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा उसके साथ छुपकर शादी किया गया था, किंतु शादी से मुकर गये थे, किंतु वर्तमान में दोनों के मध्य समझौता हुआ है कि वे विशेष विवाह अधिनियम (Special Marriage Act) के अंतर्गत एक से दो सप्ताह के अंदर एक-दूसरे से विवाह कर लेंगे। इस हस्तलिखित बयान को पत्रावली पर रखा जाय।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोगिनी/पीड़िता द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट व अपने धारा 180 व 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयानों में आवेदक से काम के दौरान दोस्ती होने, आवेदक द्वारा जबरन रेप करने तथा कोर्ट मैरिज कर शादी का वायदा करने तथा गर्भपात कराने का आक्षेप अभिकथित किया गया है, किंतु यहां अतिप्रासंगिक तथ्य यह है कि वर्तमान में आवेदक, जमानत पर मुक्त होने के उपरांत पीड़िता से दो सप्ताह में विवाह करने के लिए तैयार तथा उसके परिजन भी इस रिश्ते के लिए सहमत है। इसलिए, आवेदक को जमानत पर मुक्त कर दिया जाय।

पुन: उनका कथन है कि आवेदक की ओर से यह आश्वासन दिया गया है कि वह कानून की प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए तैयार है और जब भी आवश्यकता होगी वह ईमानदारी से अदालत के समक्ष खुद को उपलब्ध कराएगा और उन सभी शर्तों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार है जो न्यायालय उस पर अधिरोपित करेगी। आवेदक निर्दोष है तथा वह इस प्रकरण में दि० 06.10.2025 से कारागार में निरुद्ध है। इसलिए आवेदक को जमानत पर छोड़ दिया जाय।

5. सूचनाकर्ता/पीड़िता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि पीड़िता व आवेदक के मध्य विशेष विवाह अधिनियम के अतंर्गत विवाह हेतु समझौता हो गया है। इसलिए, उन्हें आवेदक को जमानत पर मुक्त किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

6. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अभियुक्त के जमानत का प्रबल विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध संज्ञेय एवं गंभीर प्रकृति का है। इसलिए, अभियुक्त को जमानत पर न छोड़ा जाय।

7. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य एवं पत्रावली पर उपलब्ध सारवान तथ्यों एवं परिस्थितियों का समग्र रूप से अवलोकन करने के बाद, सबूतों की प्रकृति और किसी भी ठोस विरोधात्मक सामग्री की अनुपस्थिति एवं उपलब्ध सामग्री से छेड़छाड़ की संभावना न होने के तथ्य को देखते हुए मेरी राय में आवेदक को जमानत पर मुक्त करने का उपयुक्त आधार है।

8. अत: वाद के गुण-दोष पर बिना कोई टिप्पणी किए हुए आवेदक को उपरोक्त वर्णित अपराध में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर व्यक्तिगत बंध-पत्र एवं अधिक धनराशि के दो स्थानीय प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ **जमानत** पर छोड़ दिया जाय।

1. आवेदक विवेचना या परीक्षण के दौरान अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

2. आवेदक अभियोजन साक्षियों व पीड़िता/ शिकायतकर्ता को डरायेगा/धमकायेगा नहीं।

3. आवेदक न्यायालय के आदेशों का पालन करेगा, वह परीक्षण के दौरान बिना कोई अनावश्यक स्थगन लिए नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होगा तथा परीक्षण में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

4. आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद जमानत की स्वतंत्रता का दुरूपयोग नही

करेगा और किसी भी अपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा न कोई अपराधिक कृत्य करेगा।

5. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति या पुलिस अधिकारियों को कोई प्रलोभन या धमकी नहीं देगा न ही उनसे कोई वायदा करेगा, जिसके कारण उन्हें न्यायालय में तथ्यों को उजागर करने से विरत रहना पड़े।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, विचारण न्यायालय आवेदक की जमानत नियमानुसार रद्द करने को स्वतंत्र है।

10. आवेदक, जमानत पर मुक्त होने के उपरांत, यदि पीड़िता से दो सप्ताह के अंदर विवाह नहीं करता है तो सूचनाकर्ता/पीड़िता, आवेदक के विरूद्ध जमानत निरस्तीकरण आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

(Dr. Gautam Chowdhary,J.)

February 17, 2026
CP.sahani

Digitally signed by :-
CHANDRA PRAKASH SAHANI
High Court of Judicature at Allahabad